भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या – 135

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय नागरिकों का निर्वासन

135 श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:

क्या ***विदेश*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2023 से 31 मार्च, 2026 के बीच अमेरिका, मेक्सिको तथा यूरोपीय देशों से निर्वासित (डिपोर्ट) किए गए भारतीय युवाओं की सटीक संख्या का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) संगठित मानव तस्करी तथा अवैध ट्रैवल एजेंट गिरोहों के विरुद्ध कितने मामलों में सफलतापूर्वक अभियोजन चलाया गया और उनमें से कितने मामलों में सजा का अधिनिर्णय दिया गया; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे निर्वासित किए गए युवाओं के पुनर्वास तथा उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विदेश मंत्री

(डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'भारतीय नागरिकों का निर्वासन' के संबंध में श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के दिनांक 30.07.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 135 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और यूरोपीय देशों से निर्वासित किए गए भारतीयों की संख्या की देशवार सूची अनुबंध क में दी गई है।

(ख) और (ग) जब भी विभिन्न माध्यमों से झूठे भर्ती प्रस्तावों द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रलोभन देने वाले अवैध एजेंटों/संदिग्ध फर्मों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो ऐसे मामलों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और कुछ राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित अन्य विधानों सहित लागू अन्य विधानों के संगत कानूनी प्रावधानों के तहत जांच और अभियोजन के लिए राज्य पुलिस को प्रेषित किया जाता है। मंत्रालय के पास उनके स्थानीय अभियोजन की स्थिति उपलब्ध नहीं है। तथापि, अक्टूबर 2025 तक, देश में कुल 3,505 अपंजीकृत एजेंटों को ई–माइग्रेट पोर्टल पर अधिसूचित किया गया है।

मंत्रालय ई–माइग्रेट पोर्टल, सोशल मीडिया हैंडल और प्रचार के अन्य तरीकों के माध्यम से फर्जी नौकरी के रैकेट से जुड़े जोखिमों और उनसे बचने के उपायों के बारे में भी परामर्शी जारी करता है। मंत्रालय द्वारा समय–समय पर देश भर में ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित और वैध प्रवासन के संबंध में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं जिसमें मीडिया समूहों, पुलिस अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन, इच्छुक भर्ती एजेंटों, उद्यमियों और आम जनता के लिए कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, सूचना सत्र, डिजिटल अभियान शामिल होते हैं। इन सत्रों के दौरान प्रवासन नियमों, प्रवासियों के लिए लाभकारी योजनाओं जैसे प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई), प्रस्थान पूर्व अनुकूलन प्रशिक्षण (पीडीओटी), ई–माइग्रेट पोर्टल और भारतीय दूतावासों द्वारा जारी विभिन्न परामर्शी के बारे में नौकरी के इच्छुक लोगों सहित सभी हितधारकों को जागरूक किया जाता है, और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार के रोजगार प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले भर्ती एजेंटों की पूरी पृष्ठभूमि/पूर्ववृत्त का सत्यापन करें और फर्जी नौकरी के प्रस्तावों के प्रलोभन में न आएं और उनके जाल में न फंसें। वापस लौटे भारतीय प्रवासियों का पुनर्वास उन राज्य सरकारों के अधीन आता है जहां से उत्प्रवासी संबंधित होते हैं।

अनुबंध – क

देश का नाम	निर्वासित भारतीयों की संख्या			
	2023	2024	2025	2026 (दिनांक 31.03.2026 तक)
ऑस्ट्रिया	99	73	15	1
बेल्जियम	23	5	2	3
बोस्निया और हर्जेगोविना*	3	1	1	0
क्रोएशिया	9	5	2	0
साइप्रस	173	183	164	53
डेनमार्क	7	1	4	2
एस्तोनिया	0	15	1	0
फ्रांस	9	9	11	6
जॉर्जिया*	**	**	9	3
जर्मनी	32	79	44	4
ग्रीस	13	31	38	10
हंगरी	0	0	1	0
आयरलैंड	0	2	5	2
इटली	2	6	9	5
लातविया	***	0	1	3
लिथुआनिया	0	0	4	0
लक्समबर्ग	0	0	2	0
माल्टा	0	0	3	0
मेक्सिको	1	0	1	0
पोलैंड	24	14	12	1
पुर्तगाल	1	0	3	3
रोमानिया	27	17	28	3
सर्बिया*	2	5	10	3

स्लोवाक गणराज्य	0	8	27	0
स्पेन	7	4	1	0
स्वीडन	27	16	13	4
स्विट्ज़रलैंड*	2	2	0	0
नीदरलैंड	58	11	4	4
तुर्की*	32	23	7	8
यूके*	98	110	156	57
यूएसए	617	1368	2025	414

* वे देश जो यूरोपीय परिषद के सदस्य हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन का भाग नहीं हैं।

** जॉर्जिया में भारतीय मिशन जुलाई 2024 में स्थापित किया गया था और अक्टूबर 2025 में कोंसली सेवा शुरू की गई।

*** लातविया में भारतीय मिशन 2024 में स्थापित किया गया था।
